न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
गोविन्दराम पुत्र टीलाराम जाति सीरवी निवासी वेरा आसन का नोखडा जेतीवास तह0 बिलाडा जिला जोधपुर	बनाम	1–गंछाराम पुत्र गणेशाराम जाति सरगरा निवासी शिवगंज 2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल		**विद्वान अधिवक्ता श्री रमणिक त्रिवेदी**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रा0पत्र संख्या 91/2023

–:निर्णय:– दिनांक 18.06.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण का इस आशय का पेश किया कि है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी कब्जे कास्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बडगांव, पटवार क्षेत्र बडगांव, भू–अभिलेख क्षेत्र शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही (राजस्थान) आई हुई स्थित हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 840/3 रकबा 0.2995 हैक्टर किस्म बंजर आई हुई स्थित हैं। जिस भूमि में प्रार्थी द्वारा ट्यूबवेल खुदवाया हुआ हैं एवं अपने नाम से बिजली सम्बन्ध लिया हुआ हैं। जिस भूमि पर एकमात्र कब्जा स्वामित्व प्रार्थी का ही चला आ रहा हैं। अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 840/15 कुल रकबा 0.7770 हैक्टर किस्म बंजर आई हुई स्थित हैं। जिस भूमि पर कब्जा स्वामित्व अप्रार्थी संख्यां एक का चला आ रहा हैं। जो भूमि खसरा मूल खसरा नम्बर 840 से बने हैं। इस प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से अन्य पदों में सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 840/3 रकबा 0.2995 हैक्टर के सेगरिग्रेशन के पूर्व में खसरा नम्बर 840/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा से बना हैं जो मूल खसरा नम्बर 840 का भाग हैं, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या एक के खसरा नम्बर 840/15 रकबा 0.7770 हैक्टर के सेगरिग्रेशन के पूर्व में खसरा नम्बर 840/15 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा बिस्वा से बना हैं, जो भी मूल खसरा नम्बर 840 का भाग हैं। वर्तमान में दौरान सेगरिग्रेशन करते समय सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड को ऑन लाईन किया गया तथा राजस्व नक्शा में भी खसरा नम्बरान् की भूमि को अलग अलग तरमीम किया गया। सेगरिग्रेशन के दौरान प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 840/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 840/3 रकबा 0.2995 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये, इसी अनुसार अप्रार्थी के खसरा नम्बर 840/15 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 840/15 रकबा 0.7770 हैक्टर भी दर्ज किये गये। लेकिन राजस्व नक्शा में तरमीम मौका स्थिति के विपरित दर्ज की गई। यानि सेगरिग्रेशन के पूर्व के जिस स्थान पर कब्जा स्थित हैं उस स्थान पर तरमीम नहीं की गई। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि की तरमीम राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपनी मजमर्जी से दूसरी जगह पर की गई हैं जबकी मौके पर आज भी प्रार्थी का कब्जा सेगरिग्रेशन के पूर्व की स्थिति अनुसार संलग्न नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी के अपने स्वामित्व की भूमि में ट्यूबवेल खुलवाया हैं तथा बिजली का सम्बन्ध भी प्राप्त किया गया हैं लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि का तरमीम मौका स्थिति के विपरित संलग्न नक्शा से अलग गलत करते हुये प्रार्थी का जहां कब्जा हैं उसके खसरा नम्बर दूसरे दर्ज किये गये यानि प्रार्थी के कब्जा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 840/3 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या एक का खसरा नम्बर 840/15 दर्ज कर दिये हैं, जबकी जिस स्थित पर अप्रार्थी संख्या एक का खातेदारी दर्ज की गई हैं उस स्थान पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा नहीं होकर प्रार्थी का कब्जा है। जिससे जरिये शुद्धि के राजस्व नक्शा में सही किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। जिससे मौके पर काबिज स्थित अनुसार सीमांकन कर राजस्व नक्शा में सेगरिग्रेशन के पूर्व स्थिति अनुसार संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के खसरा जरिये शुद्धि के दर्ज किया जावें। प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस मे दौराने सेगरिग्रेशन के दर्ज हुई गलत तरमीम को सही दुरस्त करने हेतू पूर्व में हल्का पटवारी बडगांव, भू.अभि.नि. शिवगंज, तहसीलदार शिवगंज को मौखिक रूप से निवेदन किया गया, लेकिन उसके बाद भी राजस्व नक्शा में गलत तरमीम की शुद्धि नहीं की गई तथा मौके पर काबिज स्थिति अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रस में प्रार्थी के खसरा नम्बर 840/3 की सही स्थिति दर्ज नहीं की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:07:29 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

प्र0सं0–91 / 2023
गोविन्दराम बनाम मंछाराम वगैरह
अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट

जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि के उपयोग उपभोग एवम् सुधार कार्य करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। तथा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस मे तरमीम नही किये जाने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाने एवम् धोरा पाली, तारबंदी व बाड आदि करते समय एवम् सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करते समय परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। जिससे मौके पर काबिज स्थित अनुसार सीमांकन कर संलग्न नक्शा में दर्ज अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में सही स्थिति दर्ज करने हेतू प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 136, 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत करने की आवश्यकता महशुस हुई हैं। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद बडगांव, पटवार क्षेत्र बडगांव, भू–अभिलेख क्षेत्र शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही (राजस्थान) मे स्थित बाद सेगरिग्रेशन के प्रार्थी की खातेदासरी भूमि खसरा नम्बर 840 / 3 रकबा 0.2995 हैक्टर की राजस्व रेकर्ड में तरमीम मौका स्थिति कब्जा अनुसार सीमांकन कर संलग्न नक्शा अनुसार दर्ज किये जाने का शुद्धि का आदेश बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 31.01.2024 को अप्रार्थी सं0 1 का नोटिस तामील होने के पश्चात भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार शिवगंज ने उनके पत्र क्रमांक कोर्ट / 2024 / 128 दिनांक 26.02.2024 को रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 840 / 3 की तरमीम DILRMP के तहत तहसील ऑनलाईन करते समय मौके पर कब्जे से भिन्न अन्य जगह सहवन से तरमीम कर दी गई है। एवं प्रार्थी की कब्जे काश्त वाली भूमि पर अन्य खातेदार श्री मंछाराम पुत्र गणेशाराम जाति सरगडा निवासी आदिनाथ कॉलोनी शिवगंज की खातेदारी भूमि खसरा नं0 840 / 15 रकबा 0.7770 हैक्टयर की तरमीम कर दी गई है। जो कि गलत है। अतः मौके पर काबिज अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा तैयार किया गया एंव प्रस्तावित नक्शा अनुसार संबंधित खातेदारों से सहमति लेकर तरमीम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। दिनांक 14.06.2024 को अप्रार्थी सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री रमणिक त्रिवेदी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 151 सीपीसी पेश किया जिसे बाद बहस के उचित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। दिनांक 25.06.2024 को तहसीलदार शिवगंज ने पत्र क्रमांक 314 दिनांक 22.06.2024 के द्वारा व अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब पेश किया। दिनांक 26.11.2024 को तहसीलदार शिवगंज से पुनः जांच रिपोर्ट स्पष्ट भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये जिस पर दिनांक 18.06.2025 को उनके पत्र क्रमांक 373 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवायी गयी। जिसमें पुनः उनके द्वारा अवगत कराया कि वादग्रस्त आराजी की तरमीम DILRMP के तहत तहसील ऑनलाईन करने के वक्त की गई है। उपयुर्क्त खसरा नं0 की तरमीम पुराना नक्शा लटठा में नहीं की हुई है।

तहसीलदार शिवगंज द्वारा तीन बार प्रस्तुत जवाब / रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस को दिनांक 18.06.2025 को सुना गया। बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराकर ऑनलाईन नक्शें में हुई त्रुटि को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया व बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 840 / 3 रकबा 0.2995 हैक्टर किस्म बंजर आई हुई है जिस भूमि में प्रार्थी द्वारा ट्यूबवेल खुदवाया हुआ हैं एवं अपने नाम से बिजली कनेक्शन भी लिया हुआ हैं। जिस भूमि पर एकमात्र कब्जा स्वामित्व प्रार्थी का ही चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 840 / 15 कुल रकबा 0.7770 हैक्टर किस्म बंजर आई हुई स्थित हैं। जिस भूमि पर कब्जा स्वामित्व अप्रार्थी संख्या एक का चला आ रहा हैं जो भूमि खसरा मूल खसरा नम्बर 840 से बने हैं। व प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो के मौके के अनुसार तारबंदी की हुई है जिसमें कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के बहस का खण्डन करते हुए बहस में बताया कि प्रार्थी गोविन्दराम का अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त है। बल्कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्यां एक की कृषि भूमि पर बिना किसी हक एवं अधिकार के काबिज काश्त है। यह कहना गलत है कि प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर टयूबवेल खुदवाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज

प्र0सं0–91 / 2023
गोविन्दराम बनाम मंछाराम वगैरह
अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट

जिससे अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थी से कई बार मौका स्थिति सही करने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रार्थी ने आदिनांक तक नहीं कराई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि वर्तमान तरमीम सही है जिसे शुद्ध किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोटो का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उस पर मनन किया तो हमने पाया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से भी प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है अतः हम वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील शिवगंज के** वर्तमान प्रस्तावित नजरी नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 840 / 3 एवं 840 / 15 के अनुसार शुद्ध किया जावे **तहसीलदार शिवगंज द्वारा दिनांक 26.02.2024 को प्रस्तावित नजरी नक्शा को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है। तदअनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावेगा।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त आदेश तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ शिवगंज (राजस्थान)

(नीरज मिश्र, RAS)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 361
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

दिनांक 18.06.2025

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:07:29 IST
Reason: SelfAttested